(16)

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यु ग्वालियर

प्र. क्र /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/1951

दशरथसिंह आत्मज भगवानसिंह
व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम–
आसांध्या तह. बडोद, जिला-आगर (म.प्र.)
...........निगरानीकर्ता

प्रार्थी अभिभाषक श्री विष्णु दीक्षित
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 25-5-17
लिपिक 25.5.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

136
25/05/17

विरूद्ध

1 नाथूसिंह आत्मज देवजी, व्यवसाय– कृषि
2 कालूसिंह आत्मज देवजी, व्यवसाय– कृषि
3 भगवानसिंह आत्मज देवजी, व्यवसाय– कृषि
निवासीगण — ग्राम आसांध्या, तह. बडोद
जिला-आगर मालवा (म.प्र.).........रेस्पॉन्डेंटस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भु.राजस्व संहिता

21-6-17

माननीय महोदय

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रमांक 96 / अपील / 15–16 नाथूसिंह आदि विरूद्ध दशरथसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 05.05.17 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

अ. यह कि ग्राम आसांध्या तहसील बडौद में भूमि सर्वे क्र. 283 संवत 2069 कुल किता 4 कुल रकबा 2.380 हेक्ट. भूमि उदेसिंह पिता देवजी जाति सौंध्या के भूमि स्वामी स्वत्व पर स्थित है। उदेसिंह बेऔलाद होकर मृत्यु दिनांक 16.09.13 को फौत हो गये । मृत्यु पर्यन्त प्रार्थीगण के साथ ही निवास करते थे व उनकी सेवा व देखभाल प्रार्थीगण ही पुत्र की भांती करते थे जिससे प्रसन्न होकर उदेसिंह द्वारा उक्त भूमि का एक पंजीकृत वसीयतनामा दस्तावेज कं. 9 दिनांक 10.09.13 को

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/1951

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 96/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम आसंध्या तह. बडौद में भूमि सर्वे क्र. 283 संवत 2069 कुल कितर 4 रकवा 2.380 हे. भूमि उदेसिंह पिता देवजी जाति सौंध्या के भूमि स्वामी स्वत्व पर स्थित है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि का वसीयतनामा दस्तावेज क्र. 9 दिनांक 10.09.2013 को आवेदक के पक्ष में किया था। उदेसिंह दिनांक 16.09.2013 को फौत हो गए। उनकी मृत्यु पश्चात आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन निरस्त किया जाकर अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 30.11.2015 द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 05.05.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के एकमात्र भूमिस्वामी उदेसिंह पिता देवजी थे तथा उदेसिंह को अपने स्वामित्व की भूमि किसी भी व्यक्ति को अंतरण का अधिकार प्राप्त था तथा उदेसिंह के	

(3)

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा पंजीकृत वसीयत के माध्यम से आवेदक को भूमि प्रदान की गई, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को अनावेदक की पैतृक संपत्ति मानने में कानूनी भूल की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण प्रस्तुत किया था व अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वसीयत को प्रमाणित किया था इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर विधि की भूल की है। यह भी तर्क दिया गया कि नामांतरण का दावा केवल हक या अधिकार के अर्जन पर ही किया जा सकता है यदि हक या अधिकार अर्जित के बिना नामांतरण कर भी दिया जाये तो ऐसी नामांतरण से कोई हक या अधिकार अर्जित होना नहीं माना जायेगा । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद भी निरस्त हो चुका है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन90 283, न्यायदृष्टांत 1992 (दो) एम0पी0डब्लू0एन0 पृष्ठ 175, 1984 आर0एन0 50, 1989 आर0एन0 269 एवं अन्य अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया । 4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से आवेदक की ओर से वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन को प्रश्नाधीन भूमि को पैत्रिक होना मानते हुए निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में मृतक उदेसिंह के स्वत्व में दर्ज रही है । प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि मृतक उदेसिंह को प्रश्नाधीन भूमि बटवारे में प्राप्त हुई है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 आर0एन90 283 रूखमाबाई तथा अन्य विरूद्ध मांगीलाल एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/आगर मालवा/भू.रा./2017/1951

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया है कि हिंदू विधि "पैतृक संपत्ति विभाजन में अर्जित-स्वअर्जित संपत्ति हो जाती है ।" यह न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 1987 एस0सी0 558 एवं ए.आई.आर. 1986एस0सी0 1753 पर आधारित हैं । इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत 1992 (दो) एम0पी0डब्लू0एन0 पृष्ठ 175 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "हिंदू विधि - भाईयों की संयुक्त संपत्ति विभाजित - स्वअर्जित संपत्ति का स्वरूप अर्जित कर लेती है।" उक्त न्यायदृष्टांत तथा अन्य अनेक न्यायदृष्टांतों की प्रतियां तहसील न्यायालय के अभिलेख में संलग्न हैं परंतु उन पर विचार क्यों नहीं किया गया इसका कोई उल्लेख तहसीलदार के आदेश में नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वसीयत को विचारण न्यायालय में साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है । चूंकि प्रश्नाधीन भूमि मृतक वसीयतकर्ता को विभाजन में प्राप्त होना अभिलेख से स्पष्ट है तथा वसीयत साक्ष्य से सिद्ध होना भी अभिलेख से प्रकट है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि को पैतृक भूमि मानते हुए आवेदक का नामांतरण वसीयत के आधार पर न करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में पूर्णत: वैधानिक कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी उक्त स्थिति को अनदेखा किया गया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त सिविल जज वर्ग-1 आगर द्वारा वि0व्य.प्र.क्रं. 01/16 में पारित आदेश दिनांक 13-1-18 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 36ए/14 प्रस्तुत किया गया, जो उनकी अनुपस्थिति के कारण दिनांक 22-11-14 को निरस्त	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया गया, जिसके पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तुत उक्त प्रकरण विद्वान अतिरिक्त सिविल जज द्वारा दिनांक 13-1-18 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया है । अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-5-17 स्थिर निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-15 स्थिर रखा जाता है । (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	